

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - अशोक कुमार योगी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 75/2023

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोंडेन्ट

स्वरूपराम पुत्र गोकल जाति जाट निवासी
सिरासना तहसील डेगाना जिला नागौर

राजस्थान सरकार जरिये नायब
तहसीलदार डेगाना

उपस्थिति :-

1. श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

दिनांक: 14.02.2024

निर्णय

[1]-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 300/2023 सरकार बनाम स्वरूपराम में निर्णय दिनांक 01.11.2023 के तहत मौजा सिरासना की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.12.23 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 22.12.2023 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्त द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार डेगाना के निर्णय दिनांक 01.11.2023 की फोटोप्रति पेश की।

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि दिनांक 01.11.2023 को अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ व जवाब मय दस्तावेज व साक्ष्य सबूत के पेश करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौखिक में प्रार्थी/अपीलान्त के निवेदन को स्वीकार कर लिया गया व प्रार्थी/अपीलान्त के हस्ताक्षर खाली आदेशिका पर करवा लिये व अपीलान्त को जवाब व साक्ष्य का समय प्रदान नहीं किया गया। अपीलान्त भी अधीनस्थ न्यायालय से संतुष्ट होकर अपने घर आया व अपीलान्त को यह कहा गया कि आपके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप कर दी जावेगी। किन्तु अपीलान्त को अचानक ही पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध दिनांक 01.11.2023 को ही बेदखली व जुर्माने के आदेश कर दिये गये थे, की जानकारी दी गई, तब अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय से नकल के लिए आवेदन प्रस्तुत किया व दिनांक 13.12.2023 को नकल प्राप्त कर नागौर आया व अपना अधिवक्ता मुकर्रर कर उनसे कानूनी सलाह लेकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो जानकारी से अंदर मियाद है, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत आवेदन पेश किया। न्याय हित में देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रुख अपनाते हुए अपीलान्त की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलान्त ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

[2](I)- निर्णय जेर अपील खिलाफ कानून तथ्यों व परिस्थितियों के विरुद्ध साक्ष्य व रिकार्ड के विरुद्ध तथा मौके की स्थिति के विरुद्ध होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

[2](II)- अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर ही नहीं दिया एवं नोटिस जारी होने के महज 05 दिनों के भीतर ही अपीलान्त का प्रकरण मात्र एक पेशी पर ही बिना अपीलान्त को साक्ष्य, सबूत व जवाबदेही का युक्तियुक्त, सम्यक व पर्याप्त अवसर दिये ही केवलमात्र पटवारी हल्का सिरासना की रिपोर्ट को एकतरफा में हुबहु आधार बनाते हुए निस्तारित कर मातहत न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अल्प समय में ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं बिना जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय जेर अपील पारित किया है, इस कारण निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

[2](III)- अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब अपीलान्त उपस्थित हुआ था, तब अपीलान्त को यह कहकर आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये थे कि आपकी उपस्थिति दर्ज करनी है व आपको जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जायेगा, मगर अपीलान्त को मुगालते में रखकर अपीलान्त के विरुद्ध दिनांक 01.11.23 को ही बेदखली व जुर्माने के आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है।

[2](IV)-अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को दिये गये नोटिस दिनांक 26.10.2023 में यह अंकन किया गया है कि खसरा नम्बर 826, 629 गैर मुमकिन गोचर व गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण किया गया है, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा दिनांक 25.10.2023 बनाते समय पटवारी रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर उक्त बाबत एक नक्शा भी बनाया गया था, उस नक्शे में कहीं भी खसरा नम्बर 826, 629 गैर मुमकिन गोचर व गैर मुमकिन रास्ता का उल्लेख नहीं है,

अपर कलक्टर, नागौर

नाप का उल्लेख नहीं किया गया है एवं न ही किस दिशा में, कितने नाप पर, किस आसे-पासे पड़ोसों के बीच अतिक्रमण किया है, इस बाबत मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट अस्पष्ट है व अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित करना न्याय संगत नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर विधिक त्रुटि कारित की है, जिससे निर्णय जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

[2](V)—अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यन्त ही जल्दी एवं हड़बड़ी रखते हुए निर्णय पारित किया है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में न तो अपीलांत को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया व न ही जवाब हेतु अवसर दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांत को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जेर अपील पारित किया है, जिससे भी आदेश जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

[2](VI)—मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शे के संबंध में पटवारी हल्का के बयान लेने व उसके उपरांत विधि सम्मत रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप अपीलांत प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार को प्रति-परीक्षण का अवसर दिये बिना ही आदेश जेर अपील पारित किया गया है, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलांत के विरुद्ध की गई कार्यवाही सरसरी तौर पर की गई है।

[2](VII)—सम्पूर्ण मौका रिपोर्ट तहसील कार्यालय में बैठकर बनाई हुई प्रतीत होती है, क्योंकि पटवारी हल्का द्वारा न तो मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया गया, न ही मौके पर जाकर विधि सम्मत मुन्तकिल पाइंट निर्धारित कर नाप चौप किया गया, इससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकारों का गलत रूप से अवलम्बन लेकर निर्णय जेर अपील पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

[2](VIII)—वादग्रस्त भूमि स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र में स्थित भूमि अन्तर्गत आती है, उक्त अतिक्रमण बताये जा रहे कथित खसरा की भूमि में घनी आबादी बसी हुई है तथा करीब 150 से अधिक से अधिक परिवार मकान, बाड़े आदि बनाकर सपरिवार निवास करते हैं। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने की क्षेत्राधिकारिता राजस्व कर्मचारियों व नायब तहसीलदार डेगाना, पटवारी हल्का सिरासना को नहीं होते हुए भी उनके द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करना, नोटिस जारी करना व उपरांत धारा 91 आरएलआर एक्ट की कार्यवाही कर अपीलांत को अतिक्रमी घोषित करना अधिकारातीत व क्षेत्राधिकारों से परे होने से कार्यवाही विधि की दृष्टि में दूषित है तथा खारिज किये जाने काबिल है।

[2](IX)—खसरा नम्बर 826, 629 रकबा 0.04 व 0.10 हैक्टेयर मौजा सिरासना की भूमि कभी भी गैर मुमकिन गोचर व गैर मुमकिन रास्ता की भूमि के रूप में काम में नहीं आ रही थी, न वर्तमान में है। ग्राम सिरासना की आबादी उक्त खसरा पर बसी हुई है। विवादित सम्पूर्ण भूमि में सिरासना गांव के लगभग 150 लोगो के रहवासी मकान व बाड़े बने हुए हैं। अपीलांत का भी रहवासी मकान एवं पशुओं हेतु बाड़ा हुआ है। उक्त मकान में अपीलांत अपने परिवार सहित पिछले दशको से निवास करता आ रहा है, मौके पर उक्त भूमि गैर मुमकिन गोचर के रूप में कभी भी काम में नहीं ली गई, न ही इसका स्वरूप गैर मुमकिन गोचर का कभी भी मौजूद था। केवलमात्र राजस्व रेकॉर्ड की गलत इन्द्राजी व राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों, सेटलमेन्ट कर्मचारियों की भूमि को अपीलांत सहित अन्य बेकसूर लोगो पर थोप कर उन्हे विधि विरुद्ध रूप से बिना साक्ष्य, सबूत व जवाबदेही का अवसर दिये जबरन बलपूर्वक राजनैतिक द्वेषता के चलते बेदखल करने की बदनियती से यह कार्यवाही हाजा अधीनस्थ न्यायालय ने अमल में अमल में लाकर गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से आदेश जेर अपील बेदखली व जुर्माना का पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

[3]—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांत द्वारा मौजा सिरासना में स्थित गै. मु. गोचर एवं गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांत को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांत को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जेर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]—उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत मौजा सिरासना के प्रकरण संख्या 300/2023 सरकार बनाम स्वरूपराम भू-निर्णय दिनांक 01.11.2023, से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को विधिवत नोटिस दिया गया है, अपीलांत का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर व गैर मुमकिन रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

[5]—उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। आदेश जेर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

[6]—निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अशोक कुमार योगी)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर